

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0- 94/814- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट और इसके संलग्न नक्शे में दिखाए गये अनुसार गांव नैनवाल, तहसील और जिला गुड़गांव में राजकीय प्राइमरी विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव नैनवाल, तहसील और जिला गुड़गांव राजकीय प्राइमरी विद्यालय के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 443/93 दिनांक 18 जुलाई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात् 28 जनवरी, 1991 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी0-91/750, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय मानेसर के आस-पास के पहले से ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा पर स्थित गांव मनेसर की आयत संख्या 121 का उत्तरी-पश्चिमी कोना, उसके बाद उक्त सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जहां यह गांव मनेसर की आयत संख्या 127 की उत्तरी सीमा के साथ मिलती है उसके बाद आयत संख्या 127 तथा 128 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर, उसके बाद आयत संख्या 128 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर, उसके बाद गांव मनेसर की आयत संख्या 135,134 और 133 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर बिन्दु 'ग' तक जहां यह हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी-91/734, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा गांव बारगुजर के प्राइमरी विद्यालय के आस-पास के घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की पश्चिमी सीमा मिलती है।

पूर्वी: उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर बिन्दु 'घ' तक जहां यह हरियाणा सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी091/729, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा गांव कोट खांडेवाल के राजकीय प्राइमरी विद्यालय के आस-पास के पहले से घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की उत्तरी सीमा के साथ मिलती है, उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर बिन्दु 'ड.' तक जो गांव नैनवाल की खसरा संख्या 219 की दक्षिणी सीमा है, जहां कोट खांडेवाल की पश्चिमी सीमा मिलती है।

दक्षिण: उसके बाद गांव नैनवाल की खसरा संख्या 219,220,221 और 222 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर, उसके बाद खसरा संख्या 201 की पूर्वी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद खसरा संख्या 201 तथा 202 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर उसके बाद खसरा संख्या 202 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर उस बिन्दु तक जहां यह खसरा संख्या 228 की उत्तरी-पूर्वी सीमा के साथ मिलती है उसके बाद खसरा संख्या 228 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर उसके बाद खसरा संख्या 199 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद गांव ग्वालियर की खसरा संख्या 17 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर, उसके बाद गांव ग्वालियर की खसरा संख्या 17 और 16 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद गांव मनेसर की आयत संख्या 182,177 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर-पश्चिम की ओर बिन्दु 'च' तक जहां यह गांव मनेसर की आयत संख्या 177 की पश्चिमी सीमा के साथ मिलती है।

पश्चिम: इसके बाद गांव मनेसर की आयत संख्या 177, 100 और 152 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद आयत संख्या 152 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर, इसके बाद गांव मानेसर की आयत संख्या 143 और 121 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर बिन्दु 'क' तक अर्थात् जो आरम्भिक बिन्दु है।

प्रदीप कुमार,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

214

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/814- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the controlled area around Government Primary School at village Nainwal, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School of village Nainwal, tehsil and district Gurgaon to be read with Drawing No. DTP(G) 443/93, dated 18th July, 1993.

North: Starting from point 'A' i.e. the north west corner of Rect. No. 121 of village Manesar located on the boundary of controlled area already declared around Government High School Manesar,-vide Haryana Government Gazette Notification No. JD-91/750, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991, thence towards east along the said boundary upto point 'B' where it meets with the northern boundary of Rect. No. 127 of village Manesar, thence towards east along of Rect. No. 127 and 128, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 128, thence towards east along the northern boundary of rect. No. 135, 134 and 133 of village Manesar upto point 'C' where it meets with the western boundary of controlled area declared around Primary School of village Bar Gujar, -vide Haryana Government Gazette notification No. JD-91/734, dated 22nd January, 1991.

East: Thence towards south along the boundary of said controlled area upto point 'D' where it meets with the northern boundary of controlled area already declared around Government Primary School of village Kot-Khandewla,-vide Haryana Government, Gazette notification No. No. JD -91/729, dated 22nd January, 1991, further towards south along the boundary of said controlled area upto point 'E' which is on the southern boundary of Khasra No. 219 of village Nainwal, where the western boundary of Kot Khandewla meets.

South: Thence towards west along the southern boundary of Khasra Nos.219, 220, 221 and 222 of village Nainwal, thence towards north along the eastern boundary of Khasra. No. 201, thence towards west along the northern boundary of Khasra. No. 201 and 202, thence towards south along the western boundary of Khasra No. 202 upto the point where it meets with the north-eastern boundary of Khasra No. 228, thence towards west along the northern boundary of Khasra No. 228, thence towards north along the western boundary of Khasra No. 199, thence towards south along southern boundary of Khasra No.17 of village Gwalior thence towards north along western boundary of Khasra No. 17 and 16 of village Gwalior, thence towards north-west along south-western boundary of Rect. No. 182, 177 of village Manesar upto point 'F' where it meets with the western boundary of Rect. No. 177 of village Manesar.

West: Thence towards north along the western boundary of Rect. No. 177, 169 and 152 of village Manesar, thence toward east along northern boundary of Rect. No. 152, thence towards north along western boundary of Rect. No. 143 and 121 of village Manesar upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.